हमारा बिहार

प्रेस विज्ञप्ति
(सूचना एवं जन–सम्पर्क कार्यालय,कैमूर)

संख्या :– 142
दिनांक :– 18.09.2013

अधिक से अधिक पात्र छात्रा को शिक्षा ऋण सहजता के साथ उपलब्ध करयें– डीएम
सर्विस ऐरीया का बहाना अब बैंक नहीं बनाएं

कैमूर(भभुआ) 18 सितम्बर 2013 :– जिला पदाधिकारी अरविन्द कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति (बैंकिग) की बैठक उनके कार्यालय सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा ऋण को अधिक से अधिक पात्र छात्रों को उपलब्ध कराने को डीएम ने निर्देश दिया। शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में बैंक अब सेवा क्षेत्र का बहाना नही कर सकतें। बैंकिग नियमों के अनुसार कोई भी पात्र आवेदक जहॉ वह निवास करता हो नजदीकी किसी भी बैंक के शाखा से शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकता है। शिक्षा ऋण से संबंधित किसी भी प्रकार के शिकायत जिलाधिकारी के दूरभाष न॰ 06189–222250 पर दर्ज की जा सकती है। डीएम ने मनरेगा के लाभुको का शून्य जमा पर खाता खोलने का सभी बैंको को निर्देश दिया। बैंको के बडे बकायादारों के खिलाफ चलेगा विशेष वसूली अभियान इसमें प्रशासन द्वारा हर प्रकार का सहयोग प्रदान किया जाएगा। खराब प्रदर्शन करने वालें बैंको के शाखा प्रबंधको की बैठक बूलाकर समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में एल डी एम, एस एम तूली, वरीय उप समाहर्त्ता बैंकिग सहित सभी बैंको के समन्वयक उपस्थित थें।